

कुलानुशासक कार्यालय
OFFICE OF THE PROCTOR
डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)
DR. HARISINGH GOUR VISHWAVIDYALAYA, SAGAR (M.P.)
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय / A Central University)

कुलानुशासक
Proctor



दूरभाष नं. 07582-297102
Mob.No.: 09425437111

क्रमांक : कुलानुशासक/24/43

11 फरवरी 2021

कुटेशन आमंत्रण पत्र

कुलानुशासक कार्यालय, डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर द्वारा सत्र 2020-21 के लिये स्नातक, स्नातकोत्तर एवं पी.एच.डी. कक्षाओं के सभी छात्र-छात्राओं के परिचय-पत्र (I-Card) अनुमानित 6000 (छैः हजार) बनवाये जाना है। नीचे दिये गये विशेष विवरण (Specification) के अनुसार मुद्रक/प्रिन्टर्स/फर्म से सीलबंद कुटेशन आमंत्रित किये जाते हैं।

01.	परिचय पत्र साईज	88 x 55 x 0.76 mm (नमूना प्रस्तुत करें)
02.	परिचय पत्र संख्या	6000 (छैः हजार)
03.	परिचय पत्र	प्लास्टिक (PVC) का फ्यूजिंग (Fusing) तकनीक से बनाया गया हो।
04.	परिचय पत्र	दोनों तरफ प्रिंटिंग प्लास्टिक पर।
05.	प्लास्टिक होल्डर	88 x 55 mm (नमूना प्रस्तुत करें)
06.	साटन डोरी मल्टीकलर प्रिंटेड	16 mm (नमूना प्रस्तुत करें)
07.	आदेश प्राप्त होने के बाद मुद्रण/प्रिंटिंग हेतु निर्धारित समय-सीमा	25 दिन के अन्दर कार्य पूर्ण करना होगा।

आमंत्रित कुटेशन कुलानुशासक, डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.) 470003 के पते पर पंजीकृत डाक/स्पीडपोस्ट द्वारा दिनांक 05-03-2021 को सांय 5.00 बजे तक अनिवार्य रूप से प्राप्त हो जाना चाहिये। इस तिथि के बाद प्राप्त होने वाले कुटेशन पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। कुटेशन के संबंध में विश्वविद्यालय प्रशासन का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। विशेष विवरण (Specification) एवं अन्य विवरण विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.dhgsu.ac.in पर देखी जा सकती है।

कुलानुशासक
Proctor

डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय

Doctor Harisingh Gour Vishwavidyalaya

सागर (म.प्र.) Sagar (M.P.) 470003

नियम व शर्तें

01. महज न्यूनतम राशि के प्रस्ताव से फर्म/मुद्रक/प्रिन्टर्स कार्यादेश प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा। सक्षम समीति/प्राधिकारी किसी भी निविदा को विशिष्टताओं के अनुपालन फर्म के कार्यानुभव, प्रमाणिक कार्यक्षमता, ब्रांड, प्रतिष्ठा, अतिरिक्त/विशेष प्रस्ताव एवं उचित मूल्य के आधार पर चयनित करेगी। इच्छुक मुद्रक/प्रिन्टर्स/फर्म कुटेशन के साथ नमूना अवश्य संलग्न करें।
02. निविदाओं को केवल स्पीड-पोस्ट/पंजीकृत डाक एवं कोरियर से ही स्वीकार किया जावेगा। हांथों-हाथ/फेक्स/ई-मेल आदि से प्रेषित निविदाओं को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
03. निर्धारित अंतिम तिथि के बाद प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।
04. सभी निविदाकर्ताओं को निविदा की धरोहर राशि रु. 5000/- (पाँच हजार रुपये मात्र) जमा करना अनिवार्य है, जो कि कुलसचिव, डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर के पक्ष में देय होगी।
05. धरोहर राशि एवं सुरक्षा निधि बैंक मांग पत्र (Demand Draft) के रूप में मान्य होगी।
06. निविदा में धरोहर राशि, आई कार्ड का नमूना, पूर्व में किये गये कार्य का विवरण, उपलब्ध मशीनरी कम्प्यूटर, स्केनर आदि की उपलब्धता एवं सरकारी संस्थाओं के कार्य करने के अनुभव का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिये। फर्म के पास पंजीयन, जी.एस.टी. नम्बर एवं पेन नम्बर होना अनिवार्य है।
07. निविदा में निविदाकर्ता भुगतान हेतु अपने बैंक खाते का पूर्ण विवरण अनिवार्यतः दें।
08. मुख्य दर में यदि कोई कर छूट भी सम्मिलित है तो निविदा में उसका स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिये, स्पष्ट उल्लेख न होने पर समस्त कर मुख्य दर में सम्मिलित समझा जायेगा।
09. कार्य के निष्पादन हेतु निर्धारित समय-सीमा के भीतर कार्य पूर्ण न होने पर फर्म/मुद्रक/प्रिन्टर्स को दण्ड स्वरूप प्रतिदिन कार्यादेश की राशि के 01 प्रतिशत की दर से अधिभार देना होगा। अधिकतम अधिभार की सीमा 05 प्रतिशत तक होगी।
10. विश्वविद्यालय के हित में आवश्यक होने पर कार्यादेश में अतिरिक्त नियम व शर्त जोड़ी जा सकती हैं।
11. विश्वविद्यालय किसी भी निविदा को आंशिक या पूर्ण रूप से स्वीकारने/नकारने या किसी भी समय कम मूल्य पर उत्तम गुणवत्ता का प्रस्ताव प्राप्त होने पर उसे स्वीकार करने हेतु स्वतंत्र होगा। विशिष्टताओं में या अन्य किसी भी प्रकार के परिवर्तन/निरस्तीकरण का अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित होगा।
12. कुटेशन से संबंधित किसी विवाद की स्थिति में सभी विधिक मामलों की सुनवाई हेतु न्याय का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय सागर होगा।
13. अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण कार्य का भुगतान देय नहीं होगा।
14. निविदा की नियम एवं शर्तों के अलावा अन्य कोई शर्त निविदा के लिये मान्य नहीं होगी।

कुलानुशासक

कुलानुशासक

डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय

Doctor Harisingh Gour Vishwavidyalaya

सागर (म. प्र.) Sagar / M.P. 476003

15. प्रिंटिंग कार्य के पूर्व लिखित में प्रूफ मान्य किया जाना वांछित है।
16. उचित पायी गयी निविदाओं में से न्यूनतम दर वाली निविदा को ही कार्यादेश दिया जावेगा किन्तु उसके पूर्व चयनित फर्म से कुल कयादेश राशि की दस प्रतिशत की सुरक्षा निधि राशि का धनादेश जो कि कुलसिचव, डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.) के नाम देय होगा जमा करना होगा, जिसे धरोहर राशि के साथ समायोजित किया जा सकता है। उक्त सुरक्षा निधि कार्य पूर्ण होने के पश्चात 45 दिन में वापस कर दी जावेगी। जिस पर किसी भी प्रकार का व्याज देय नहीं होगा। यदि कार्य समय पर एवं गुणवत्ता पूर्वक न हुआ तो यह राशि जब्त कर ली जावेगी।
17. कार्य/प्रिंटिंग के उपरान्त परिचय पत्र बिना किसी अतिरिक्त व्यय के हमारे कार्यालय में जमा कराना होंगे।
18. छात्रों से संबंधित डाटा मेल आई डी/सी डी में दिया जायेगा। डाटा लीक न हो इसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी।
19. निविदाकर्ता विश्वविद्यालय के उपरोक्त सभी नियमों व शर्तों (19 बिन्दु) को स्वीकार करता है इस आशय की घोषणा (हस्ताक्षर एवं मुहर सहित) इस दस्तावेज की प्रति पर करनी होगी।

 10/02/21

 10/2/21

कुलानुशासक
कुलानुशासक/Proctor
डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय
Doctor Harisingh Gour Vishwavidyalaya
सागर (म. प्र.) Sagar /M.P. 470003

मैं मेसर्स उपरोक्त दिये गये नियम एवं शर्तों को
मान्य/स्वीकार करता हूं।

फर्म के हस्ताक्षर एवं सील